न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 5/2017/एलआर

मदनलाल पिता छोगालाल सुनार
निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

राज्य जरिये तहसीलदार, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
दिनांक 01.11.1995 प्रकरण संख्या–16/1992 रेवेन्यू निगरानी

उपस्थित – 1. श्री राशिदूल गफुर – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती वन्दना चौखड़ा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 08.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्अ के आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का भू–आंवटन निरस्त किया गया। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार कोई कार्यवाही नही की है और अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय बहस सुनकर निर्णय किया वह विधि के विरूद्ध है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नही थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये। भूमि को आबाद नही करना बताया गया जबकि अपीलान्ट ने काफी खर्चा व अंग मेहनत करके भूमि को आबाद किया जिसका विवरण पटवारी हल्का

मुंगाना की रिपोर्ट दिनांक 22/06/1992 मे भी प्रकट है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट द्वारा यह बहस की गई कि भूमि उसी नाके के समीप होकर महत्वपूर्ण सरकारी उपयोग की है जो तथ्य पूर्णतया मिथ्या है। क्योकि यह भूमि चुंगी नाके के समीप नही है। बल्कि लगभग एक–डेड किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त इस बाबत् कोई जांच भी नही की गई और यह एक सर्व विदित तथ्य है कि यह भूमि सरकारी उपयोग हेतु होती तो आंवटित ही नही की जाती। अपीलान्ट ने नियमानुसार भूमि को आबाद किया यह रिपोर्ट पटवारी से ही स्पष्ट है और यहां तक की आज तक अपीलान्ट मौके पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। इस प्रकार दिनांक 1/11/1995 से 03/01/2017 तक का समय कण्डोन किये जाने योग्य है जिससे अपील मयाद मे प्रस्तुत है। फिर भी विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि आंवटन कमेटी द्वारा सम्पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्यो को देखकर अपीलान्ट प्रश्नगत भूमि आंवटित की गई है। जिला कलेक्टर ने मात्र इस आधार पर आंवटन खारीज कर दिया कि यह भूमि चुंगी नाके पर है जो अन्य राजकीय कार्य के लिये महत्वपूर्ण है। जिला कलेक्टर कार्यालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 21/09/1993 के अनुसार तहसीलदार को साक्ष्य प्रस्तुत करनी थी, जो कि नही की गई फिर भी जिला कलेक्टर द्वारा आंवटन निरस्त कर दिया गया। पटवारी हल्का मुंगाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 22/06/1992 भी अपने आप मे स्पष्ट है। भूमि पर आज भी आंवटी का कब्जा है। उक्त भूमि चुंगी नाके से 1–1.5 किमी दुर है तथा मुख्य रोड पर नही होकर अन्दर की तरफ है। आंवटी पढा लिखा नही होने के कारण राजस्व रिकार्ड मे समय पर अमलदरामद नही हो सका। आज भी आंवटी को धारा 91 एलआर एक्ट के तहत नोटिस मिल रहे है। इस प्रकार जिला कलेक्टर द्वारा किया गया आंवटन निरस्तीकरण आदेश विधिसम्मत नही होने के कारण खारीज होने योग्य हैं। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कारणो का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक भूल नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि जिला कलेक्टर चित्तौडगढ द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड, भूमि की राज्य हित मे आवश्यकता तथा पस्थितियो को देखते हुए निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 16/1992 मे पारित निर्णय दिनांक 01/11/1995 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़